न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 66/2014

1. भीमा } पुत्रगण फतेहसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जघीना तह.
2. मानसिह व जिला भरतपुर।
3. मनोज पुत्र स्व. धनसिंह
4. सपना } पुत्रियान धनसिंह } नाबालिगान जरिये संरक्षक भाई मनोज पुत्र धनसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जघीना तह. व जिला भरतपुर।
5. प्रियंका
6. प्रतिभा
7. कृष्णा पुत्र धनसिंह

.....

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर ।

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—

28—08—2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि साविक बन्दोबस्ती खसरा नंबर 4126 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम जघीना नं0 4 जिसका हाल खसरा नंबर 4614 वाके ग्राम जघीना नं0 2 तहसील भरतपुर में है जो पहले स्व. श्री गनेशी पुत्र हरना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोधा जघीना की खातेदारी का था। गनेशी के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र फत्तेसिंह के नाम उक्त आराजी पर अन्य आराजी के साथ इन्द्राज हो गया।

वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

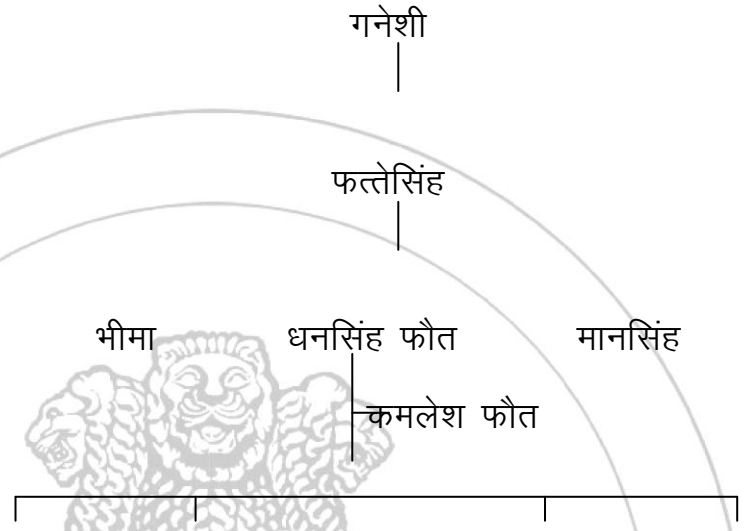

धनसिंह व उसकी पत्नी का स्वर्गवास गत वर्ष हो चुका है। फत्तेसिंह का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2014 को हो गया है। फौती का नामान्तरकरण अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। वादीगण श्री फत्तेसिंह के वारिसान हैं।

उक्त खसरा नंबर 4614 की साविक बन्दोबस्त के अनुसार मौके पर डौल मेंढ बनी हुई है और गत माप के अनुसार रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मौके पर कायम है। मगर हाल बन्दोबस्त में नवीन नाप अनुसार खसरा नंबर 4614 का रकबा 22 एयर दर्ज कर रखा है जो गलत है। साविक क्षेत्रफल 1 बीघा 12 बिस्वा का नवीन माप अनुसार रकबा 26 एयर होता है यानि 4 एयर रकबा हाल बंदोबस्ती रिकार्ड में कम दर्ज किया गया है जो काबिल दुरुस्ती है। इस खसरा नंबर के चिपटमा खसरा नंबरान 4615, 4616 व 4617 स्थित है जो गैर मुमकिन रास्ता है जो राजस्थान सरकार के अधीन है और जो आम जन के आने–जाने व कृषि कार्य के काम

आता है जिसकी चौड़ाई लगभग 30–31 फीट है जो ग्राम जघीना से ग्राम हथैनी को जा रहा है।

उक्त खसरा नंबर 4615, 4616 व 4617 से चिपटमा दूसरी तरफ खसरा नंबर 6520, 6521, 6522 व 6523 हैं जिनकी भी बंदोबस्ती डोल मेंढ कायम थी मगर उक्त खसरा नंबर 6520, 6521, 6522 व 6523 के खातेदारान ने गैर मुमकिन रास्ते को गत दो तीन वर्ष से अपने खेतों मिलाना चालू कर दिया और आम जन वादीगण के खसरा नंबर 4614 के कुछ भाग पर चलने लग गये। इस बात का इल्म पहले से वादीगण को नहीं था मगर हाल में नरेगा योजना के तहत आम रास्ता को पक्का किया जा रहा है जिसके तहत वादीगण की खातेदारी के उक्त खसरा नंबर 4614 में दिनांक 15.07.2014 को फीता डाला तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि गैर मुमकिन रास्ता के उक्त खसरा नंबरान 4615, 4616 व 4617 का रकबा खत्म कर दिया है व वादीगण के खसरा नंबर 4614 में रास्ता बनाया जावेगा जो गलत है जबकि सरकारी रास्ता खसरा नंबर 4615, 4616, 4617 पहले से ही 30–31 फीट चौडाई का है। नरेगा अधिकारियों ने धमकी दी कि मौके पर वादीगण के खसरा नंबर 4614 में हम रास्ता बनायेंगे व उसे पक्का करेंगे अन्यथा अदालत से स्थगन आदेश लाओ। तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो 4 एयर रकाब कम दर्ज होने की जानकारी हुई।

वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के रकबा में किसी को भी कब्जा करने व पुख्ता निर्माण करने व रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। खास तौर से उक्त स्थिति में जबकि मौक पर 30–31 फीट चौड़ा रास्ता है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण के रकबे में नवीन रास्ता कायम करना वादीगण के मौलिक अधिकार का हनन है। अतः वादीगण 4 एयर रकबा दुरुस्त कराने के अधिकारी हैं व प्रतिवादी को जरिये स्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के मुस्तहक हैं कि खसरा नंबर 4616 में कोई

रास्ता कायम नहीं किया जावे। लैंडहोल्डर होने के कारण राज0 सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उसके अधीनस्थ द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति राज0 सरकार उत्तरदायी है। दावा करने से पूर्व राज0 सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को नोटिस धारा 80 सी.पी. सी. जरिये वकील प्रेषित कराया जा चुका है। दावा आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र 80 (2) के साथ पेश किया जा रहा है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 4614 साविक खसरा नंबर 4126 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना है जिसका क्षेत्रफल नवीन माप अनुसार 0.26 हैक्टेयर होता है। रकबा 0.22 हैक्टेयर बन्दोबस्त विभाग ने गलत दर्ज किया है और रकबा 0.22 हैक्टेयर दुरुस्त किये जाने योग्य है यानि रकबा 0.26 हैक्टेयर काबिल दुरुस्ती है।

प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वह खसरा नंबर 4614 रकबा 0.26 हैक्टेयर में नवीन रास्ता पुख्ता या नया निर्माण नहीं करें व अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–2071, नकल मिलान क्षेत्रफल, नक्शा हाल व गत पेश किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित हुए किंतु जवाब पैरोकार को कई अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने पर दि0 02.03.2016 को जवाब प्रतिवादी बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह भीमसिंह व नवाब के शपथ पत्र पेश हुए, लेकिन अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना

चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर वादीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा अपनी बहस में दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए, दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–2071 की खाता सं0 179 में 4614 के अलावा अन्य खसरा नंबर भी हैं जिन्हें वादीगण द्वारा दावा में छिपाया गया है। वादीगण द्वारा गैर मुमकिन रास्ता के हाल एवं साविक रकबा की तुलना नहीं बताई गई है। वादीगण गैर मुमकिन रास्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा रास्ते के अलावा किसी अन्य खसरा नंबर से पूर्ति किए जाने का अनुरोध नहीं किया है। स्पष्ट है कि वादीगण गैर मुमकिन रास्ता से अवैधानिक रूप से अपने रकबे की पूर्ति चाहता है। वादीगण द्वारा उक्त रकबा के पड़ौसी खाताधारकों को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादीगण क्लीन हैण्ड से अपने दावा को लेकर नहीं आए हैं। दावा वादीगण खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official